प्रस्तावना
अठारहवाँ संस्करण, 2008

प्रस्तुत पुस्तक ने सन् 1930 में रतनलाल एवं धीरजलाल के विद्वान हाथों द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1908 पर टीका के रूप में जन्म लिया। उपरोक्त संहिता सन् 1973 में पुनः अधिनियमित और 1 अप्रैल, 1974 को लागू हुयी थी। इस पुस्तक के पिछले ११ संस्करणों द्वारा काफी अध्ययन सामग्री (material) एकत्रित हो गयी थी जिसे एक ही स्थान पर मिलाने का लक्ष्य सन् 1975 के 12वें संस्करण में पूर्ण किया जा सका था। सम्पादक मनहर रतनलाल वकील एवं ए.के. सरकार ने अपने प्रयासो का 12वें संस्करण की अपनी प्रस्तावना में इस प्रकार से वर्णन किया :

> "पुराने निर्णयों से निकाले गये सिद्धान्तों का प्रयोग जहाँ भी उपयुक्त पाया गया, नई धाराओं के प्रावधानों को स्पष्ट करने एवं (उदाहरण देकर) समझाने के लिया किया गया है। अनेक स्थानों पर नई संहिता में किये गये अत्याधिक परिवर्तनों की दृष्टि से व्याख्या दोबारा करनी पडी थी एवं पूर्णतया नई धाराओं में नई व्याख्या जोडी गयी थी।"

विद्वान सम्पादक ने यह भी कहा :

> "यह पुस्तक इसके पाठकों को दण्ड प्रक्रिया के सिद्धान्त समझने मे सक्षम बनाने के उद्देश्य से लिखी गयी है। इस पुस्तक को स्पष्ट, विश्वसनीय (reliable) एवं वो लोग जो इस विषय पर अधिकार प्राप्त करना चाहते है, उनके लिये इसे व्यावहारिक मार्गदर्शन बनाने का प्रत्येक प्रयास किया गया है।"

तीन अन्य संस्करणों को पूर्ण करने के पश्चात् अब इसका सत्रहवाँ संस्करण ऐसे महत्वपूर्ण संकलनों के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है जो इस पुस्तक को, इसके प्रस्तुतीकरण के कुछ क्षेत्रों मे नयी रचना की प्रतिष्ठा देते है। इस पुस्तक ने तिहत्तर (73) वर्ष पूर्ण कर लिये हैं। एक संस्करण के बाद दूसरे संस्करण तक इसने एक विधिक गौरव ग्रंथ (classic) के रूप में अपने असंदिग्ध नेतृत्व को कायम रखा है। इसे खंडपीठ तथा बार एवं विद्यार्थी समुदाय से निरन्तर प्रोत्साहक सम्मान एवं प्रतिक्रियायें मिलती रहती है। प्रामाणिकता, मौलिकता एवं विश्वसनीयता ये सब इस विषय के इस अध्ययन के प्रमाणचिन्ह (hallmarks) रहे है। इसमें पहले से ही बहुत अधिक शीर्षक एवं उप-शीर्षक दिये गये थे। नये संस्करण ने इस विशेषता को और आगे बढाया है अब इन शीर्षकों एवं उप-शीर्षकों को और भी अधिक सुन्दर तरीके से प्रस्तुत किया गया है।

किसी भी प्रकियात्मक विधी को अधिनियमित करने का एक उद्देश्य ऋजु विचारण (fair trial) को सुनिश्चित करना है और ऐसे दण्ड को भी सुनिश्चित करना है जो अपराध की गंभीरता के आनुपातिक

(क्रमशः)

प्रस्तावना
अठारहवाँ संस्करण, 2008 (क्रमशः)

(proportionate) है तथा जहाँ तक संभव हो सके अन्वेषण एवं विचारण की अवधि को छोटा करके लम्बी कैद (incarceration) का परिहार (awoid) करना है। ये सिद्धान्त संहिता का अर्थान्वयन (interpretation) करने मे मार्गदर्शन करते हैं एवं साथ ही मामलों के आलोचनात्मक परीक्षण का आधार प्रदान करते है। इस तकनीक का यहाँ पर प्रयोग किया गया है।

इस संहिता के अनेकों पहलू हैं। उनमें से एक सामाजिक न्याय है। संहिता का इसमें रूचि दिखाना इसके उन प्रावधानों से स्पष्ट होता है जो स्त्रियों, बच्चों एवं ऐसे अक्षम व्यक्तियों, जो अपंग नही है, के संरक्षण एवं भरण–पोषण पर आधारित हैं। संहिता के इस सामाजिक पहलू पर आधारित मामलों की गति का पूर्ण दृष्टिक्षेत्र, प्रस्तुत की सदैव से ऐतिहासिक विशेषता ही है एवं इसे आगे और अधिक समृद्ध बनाया गया है।

विभिन्न तथ्यों एवं समस्याओं हेतु न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियों के प्रयोग से अनेकों मामले उत्पन्न हुये है। न्यायालय द्वारा अपीलों एवं पुनरीक्षण (revision) से संव्यवहार करते समय अनेक विवादों का सामना एवं समाधान किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने पुलिस स्टेशन में अभिग्रहीत (seized) संपत्तियों के संचयन (accumulation) एवं मौसम द्वारा इसे खराब होने देने पर विशेष ध्यान दिया है। इस विषय पर हुये निर्णयों में मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तुत किये गये है कि कैसे ऐसी सम्पत्ति की रक्षा करें, उनमें से एक है कि इसे इसके प्रथम दृष्टया स्वामी को सशर्त सौंप दिया जाये। जमानतों के मंजूर किये जाने, विशेषतया अग्रिम जमानत से सम्बन्धित सिद्धांतों को व्यावहारिक दृष्टिकोण के और अधिक अनुकूल बनाया गया है।

एक प्रभावी आपराधिक न्याय व्यवस्था को ऐसा अन्वेषण और विचारण सुनिश्चित करना होता है, जो किसी भी दोषी को बचने नही देता है। इसे केवल यही आश्वासन नही देना होता है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दण्डित नही किया जायेगा बल्कि यह भी कि कोई भी दोषी व्यक्ति नही बचेगा। प्रक्रियात्मक अनिष्टापत्ति (mishaps) एवं चूक से प्रायः अयोग्य दोषमुक्तियाँ हो जाती है। दहेज सम्बन्धी मृत्यु के मामले, जिसमें एकमात्र साक्षी, पीड़ित स्त्री, मानव अधिकरणों की पहुँच से दूर चली जाती है, समाज के सामने दुर्घर्ष (intractable) विधिक समस्या प्रस्तुत करते हैं जैसा कि दोषमुक्ति की ऊँची दर द्वारा दर्शाया गया है।

इस नये संस्करण में अनेकों मामले जोड़े गये है। उच्चतम न्यायालय के सभी निर्णयों एवं उच्च न्यायालय के निर्णयों के ऐसे प्रत्येक समादेश (rulling), जो व्यक्तिगत या सामाजिक विवादों के कुछ

(क्रमशः)

महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं, को सम्मिलित किया गया है। न केवल मामले बल्कि महत्वपूर्ण विषयों पर मतों एवं दृष्टिकोणों को भी मूल पाठ (text) मे समावेशित किया गया है।

इस संस्करण को तैयार करने में जिन अनेक विद्वानों ने मुक्तहस्त सहायता प्रदान किया है, हम उनके आभारी हैं। हम मेसर्स वाधवा एंड कम्पनी के सम्पादकीय स्टॉफ द्वारा भी लाभान्वित हुये हैं। इस पुस्तक को उपयोगी बनाने मे उन्होने जो सहायता की है हम उसके लिये उनके कृतज्ञ हैं।

मुम्बई | **वाई. वी. चन्द्रचूड़**
१४ अप्रैल, १९६७ | **मुख्य सम्पादक**